न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– **रीटा तेजपाल,** आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम आवेदन संख्या :– 143/2019

(सी0आई0एस0 नं0 143/2019 एवं सी0एन0आर0 नं0 RJBR010020382019)

1– रमेशचन्द्र वैष्णव उम्र 44 वर्ष पुत्र धन्नालाल

2– रूकमणी वैष्णव उम्र 39 वर्ष पत्नी रमेशचन्द्र वैष्णव

3– शिवानी वैष्णव उम्र 19 वर्श पुत्री रमेशचन्द्र वैष्णव

4– अंकित वैष्णव उम्र 18 वर्ष पुत्री रमेशचन्द्र वैष्णव
निवासीगण शिव कॉलोनी बारां (राज0)

5– पूनम वैष्णव उम्र 16 वर्ष पुत्री रमेशचन्द्र वैष्णव नाबालिग

6– भूपेन्द्र वैष्णव उम्र 13 वर्ष पुत्र रमेशचन्द्र वैष्णव नाबालिगान जरिये वली पिता रमेशचन्द्र वैष्णव पुत्र धन्नालाल निवासीगण शिव कॉलोनी बारां (राज0)

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– देवीलाल राठी उम्र 35 वर्ष पुत्र धन्नालाल राठी निवासी ओढपुरा बस्ती बारां जिला बारां (राज0) – वाहन चालक

2– रामचन्द्र प्रजापति उम्र 41 वर्ष पुत्र मांगीलाल निवासी लंका कॉलोनी हनुमान नगर मधुबन रिसोर्ट के पास बारां जिला बारां (राज0)

– वाहन स्वामी

3– शाखा प्रबन्धक, यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0 लि0, अस्पताल रोड, बारां (राज0) – बीमा कम्पनी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री मनोज कुमार जैन, अधिवक्ता–प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री सत्येन्द्र जामोदिया, अधिवक्ता–अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।

3– श्री शैलेष मेहता, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

4– श्री अमित अरोडा, अधिवक्ता–बीमा कम्पनी अप्रार्थी सं0 3 की ओर से।

:: **निर्णय** :: **दिनांकः 01.08.2024**

1— दिनांक 15.03.2019 को सडक दुर्घटना में प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव की मृत्यु होने से उसके पिता, माता व भाई–बहिन प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 क्रमशः रमेशचन्द्र, रूकमणी वैष्णव, शिवानी वैष्णव, अंकिता वैष्णव, पूनम व भूपेन्द्र वैष्णव ने क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि 48,25,000/– रूपये दिलाये जाने का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम पेश किया है।

2— क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.03.2019 को मृतका प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव शाम 6.00–6.30 बजे करीब मोटरसाईकिल पर सवार होकर चारमूर्ति चौराहा से अस्पताल की तरफ जा रही थी तब रास्ते में सोभाग श्री मेरिज गार्ड के सामनें वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर 1453 के चालक देवीलाल ने उक्त ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी जिससे प्रीति उर्फ लक्ष्मी के शरीर पर गम्भीर चोटें कारित हुई तथा इलाज के दौरान दिनांक 16.03.2019 को उसकी मृत्यु हो गई।

3— उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली बारां पर प्रथम सूचना सं0 182/2019 दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान विपक्षी क्रम–1 देवीलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304–ए भा0दं0सं0 प्रमाणित पाये जाने पर संबंधित न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।

4— वक्त दुर्घटना मृतका प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव की आयु लगभग 19 वर्ष थी और वह सिलाई का कार्य कर 6 हजार रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त करती थी। प्रार्थीगण मृतका के पिता, माता व भाई–बहिन हैं, जो प्रीति उर्फ लक्ष्मी की मृत्यु होने के कारण उसके प्रेम–वात्सल्य आदि से वंचित हुये हैं।

5— घटना के समय विपक्षी क्रम–1 देवीलाल वाहन का चालक व विपक्षी क्रम–2 रामचन्द्र प्रजापति वाहन का पंजीकृत स्वामी था, जिसके नियोजन में विपक्षी क्रम–1 वाहन चला रहा था। इसलिए क्षतिपूर्ति अदायगी की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। उक्त वाहन विपक्षी क्रम–3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के पास बीमित है जो इस वाहन के संबंध में हुई किसी भी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी रखती है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 48,25,000/– रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने की प्रार्थना की।

6— प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी रमेशचन्द्र का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

7— विपक्षी क्रम—1 देवीलाल ने उत्तर प्रार्थनापत्र पेश करते हुए क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन किया कि वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर 1453 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। विपक्षी वैध अनुज्ञापत्रधारी चालक है, यदि दुर्घटना के लिये उक्त वाहन ट्रेक्टर को किसी तरह लिप्त माना जावे तो उसके लिये विपक्षी सं0 2 वाहन स्वामी एवं विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी दायित्वाधीन एवं उत्तरदायी है।

8— विपक्षी क्रम—2 रामचन्द्र प्रजापत (वाहन स्वामी) ने उत्तर प्रार्थनापत्र पेश करते हुए क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन किया कि वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर 1453 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। फिर भी यदि दुर्घटना के लिये उक्त वाहन ट्रेक्टर को किसी तरह लिप्त माना जावे तो उसके लिये विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी दायित्वाधीन है क्योंकि वक्त दुर्घटना यह वाहन विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था।

9— विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रार्थनापत्र में दुर्घटना का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता और पॉलिसी की शर्तों की पालना संबंधी आपत्तियों को उठाते हुए विशेष आपत्तियों में यह कथन किया गया है कि वक्त कथित दुर्घटना ट्रेक्टर चालक देवीलाल के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर 1453 का बीमा स्वयं के कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था लेकिन वक्त कथित दुर्घटना ट्रेक्टर के साथ ट्रोली संलग्न कर सार्वजनिक स्थल पर परिचालन किया जा रहा था जो कि कृषि कार्य से भिन्न व्यावसायिक कार्य किये जाने के कारण बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन है। बीमा कम्पनी ने अपनी उत्तर याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर क्लेम प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

10— उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गए :—

1. आया प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के चालक विपक्षी सं0 1 देवीलाल राठी के द्वारा दिनांक 15.03.2019 को समय शाम के 06.00—06.30 बजे के लगभग स्थान सौभाग्य श्री मैरिज गार्डन के सामनें, कोटा रोड बारां में उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव

के शरीर पर कारित हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई? —प्रार्थीगण

2. आया वक्त दुर्घटना वाहन चालक विपक्षी सं0 1 देवीलाल राठी वाहन के पंजीकृत स्वामी विपक्षी सं0 2 रामचन्द्र प्रजापति के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ? —प्रार्थीगण

3. आया विपक्षी सं0 3 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर वह अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है ? —बीमा कम्पनी

4. आया दावेदारान अपने दावे में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत् राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो दावेदारान कितनी—कितनी राशि, किस—किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते हैं ? —प्रार्थीगण

5— अनुतोष ?

11— प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह ए0डब्ल्यु 01 रमेशचन्द्र वैष्णव व ए0डब्ल्यु 02 हंसराज कुशवाह की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में एफ.आई.आर. प्रदर्श—1, चार्जशीट प्रदर्श—2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—3, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श—4, गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 प्रदर्श—5 लगायत प्रदर्श—8, नक्शामौका प्रदर्श—9, फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श—10, नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श—11, रजिस्ट्रेशन ट्रेक्टर प्रदर्श—12, बीमा ट्रेक्टर प्रदर्श—13, ड्राईविंग लाईसेंस देवीलाल प्रदर्श—14, मेकेनिकल मुआयना ट्रेक्टर प्रदर्श—15 व पी0एम0आर0 प्रदर्श—16 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए।

12— अप्रार्थीगण की ओर से गवाह एन0ए0डब्ल्यु0 1 राजीव तिवारी की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अन्वेषण रिपोर्ट प्रदर्श ए—1 को प्रदर्शित कराया गया।

13— मैनें उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क—वितर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बिन्दुवार निर्णय निम्नप्रकार है :—

<u>विवाद्यक सं0 1 :—</u>

14— इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है, इस भार को उन्मोचित करने के लिये प्रार्थी रमेशचन्द्र ए0डब्ल्यु0 1 और हंसराज ए0डब्ल्यु0 2 को

परीक्षित कराये जाने के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–16 प्रस्तुत किये।

15– प्रार्थी ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द वैष्णव का कथन है कि 15.03.2019 को शाम के समय इसकी पुत्री प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव मोटरसाईकिल पर सवार होकर चारमूर्ति चौराहे से अस्पताल की तरफ जा रही थी तब सौभाग्यश्री मेरिज गार्डन के सामनें वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के चालक देवीलाल राठी ने ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी जिससे प्रीति उर्फ लक्ष्मी के शरीर पर गम्भीर चोटें आयीं और एमबीएस अस्पताल कोटा में इलाज के दौरान दिनांक 16.03.2019 को उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी का यह कथन है कि यह दुर्घटना अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल द्वारा वाहन को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाने के कारण घटित हुई है। वक्त घटना अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 का चालक था। अपने कथनों की पुष्टि हेतु प्रार्थी रमेशचन्द्र ने एफ.आई.आर. प्रदर्श–1, चार्जशीट प्रदर्श–2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श–4, नक्शामौका प्रदर्श–9, फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श–10, नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श–11, मेकेनिकल मुआयना ट्रेक्टर प्रदर्श–15 व पी0एम0आर0 प्रदर्श–16 प्रस्तुत किये।

16– प्रतिपरीक्षण में गवाह ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द्र ने यह स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल चालक लापरवाही से चला रहा था और इसी कारण दुर्घटना हुई थी। ट्रेक्टर के संबंध में उसने कथन किया कि पुलिस वालों ने ही बताया था कि ट्रेक्टर से दुर्घटना हुई है इसलिए प्रदर्श–3 तहरीरी रिपोर्ट में ट्रेक्टर द्वारा दुर्घटना कारित करना लिखाया था। ट्रेक्टर के नम्बर आर0जे0 28 आर. 1453 पुलिस ने घटना के महिना–सवा महिना बाद बताये थे। उसने यह भी कथन किया कि प्रदर्श–3 रिपोर्ट में उसकी लडकी द्वारा सारी बात बताया जाना दर्ज है, लेकिन कहता है कि प्रीति ने उसे देवीलाल का नाम बताया था और हंसराज घटना के महिला–सवा महिला बाद उसे मिला था और उसने बताया था। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से किये गए प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह भी कथन किया कि वह पुत्री को मिलने बारां अस्पताल नहीं गया, कोटा अस्पताल गया था।

17– ए0डब्ल्यु0 2 हंसराज जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर इसी गवाह द्वारा बताया जाना कथन किया गया है।

18— **ए0डब्ल्यु0 2 हंसराज** का कथन है कि वह धानमण्डी से बस स्टेण्ड पेट्रोलपम्प की तरफ जा रहा था तो सौभाग्यश्री मैरिज गार्डन के सामनें ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के चालक देवीलाल राठी ने ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी जिससे मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति एवं प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव नीचे गिर गए, प्रीति के शरीर पर गम्भीर चोटें आयीं। वे प्रीति उर्फ लक्ष्मी वैष्णव को संभालने लगे इतने में मोटरसाईकिल वाला व ट्रेक्टर वाला मौके से भाग गए। यह कहता है कि घटना के लगभग डेढ महिने बाद जब उसे रमेशचन्द मिला तो उसने बताया कि टक्कर मारने वाला ट्रेक्टर अभी तक नहीं पकडा, तब वह रमेशचन्द के साथ पुलिस थाना कोतवाली बारां मे गया एवं उसने पुलिस वालों को बताया था कि ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के चालक देवीलाल द्वारा ट्रेक्टर को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारी थी। **प्रतिपरीक्षण** में इसने यह भी माना कि जब दुर्घटना हुई तो ट्रेक्टर के नम्बर नहीं देखे थे लेकिन देवीलाल का नाम आया था। इसने दिनांक 16.03.2019 को फर्द पंचायतनामा प्रदर्श—4 पर अपने हसताक्षर बताये और यह स्वीकार किया कि उस दिन भी पुलिस को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर नहीं बताये थे।

19— प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के खण्डन में बीमा कम्पनी की ओर से गवाह एन0ए0डब्ल्यु0 1 राजीव तिवारी ने यह कथन किया कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से घटित हुई थी, उसका पता नहीं लगने पर योजनाबद्ध तरीके से दुरभिसंधि कर घटना के डेढ माह बाद बीमित वाहन को अन्तर्लिप्त बताते हुए उससे दुर्घटना कारित होना बताया गया है। यह भी कथन किया गया कि चालक देवीलाल दावाकर्ता रमेशचन्द के वार्ड में ही रहता है इसलिए उससे मिली—भगत करके ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 की अन्तर्लिप्तता बताकर चालक देवीलाल की उपेक्षा से दुर्घटना कारित होने का कथन किया गया है। गवाह ने अपनी अन्वेषण रिपोर्ट प्रदर्श ए—1 को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई।

20— घटना दिनांक 15.03.2019 को समय करीब 06.00—06.30 बजे की बतायी गई है। प्रदर्श—3 रिपोर्ट 16.03.2019 को सुबह 10.30 बजे दर्ज की गई। प्रदर्श—3 तह0 रिपोर्ट के प्रक्रम तक केवल ट्रेक्टर द्वारा टक्कर मारना कथन किया गया है लेकिन किस नम्बर के ट्रेक्टर ने टक्कर मारी, इसका उल्लेख प्रदर्श—3 रिपोर्ट

में नहीं किया गया। ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द्र मौके का गवाह नहीं है इसलिए इसे टक्कर मारने वाले ट्रेक्टर के बारे में जानकारी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

21— ए0डब्ल्यु0 2 हंसराज जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहते हुए प्रस्तुत हुआ है, उसने अपने बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रेक्टर के नम्बर आर0जे0 28 आर. 1453 बताये हैं लेकिन इसने जिरह में स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय उसने यह नम्बर नहीं देखें थे। यदि दुर्घटना के समय इस व्यक्ति ने वाहन के नम्बर नहीं देखे तो वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के द्वारा टक्कर मारे जाने के कथन का क्या आधार है। यह कहता है कि दुर्घटना के समय देवीलाल का नाम आया था। अब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि देवीलाल का नाम किसने बताया था। पुलिस ने जिस अनुसंधान के आधार पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया है, उसमें हंसराज के बयान प्रदर्श—7 है। यह बयान दिनांक 05.05.2019 को दर्ज किये गए लेकिन प्रदर्श—7 हंसराज के बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रेक्टर के नम्बर आर0जे0 28 आर. 1453 दर्ज कराने का आधार हंसराज के बयानों से सामनें नहीं आता। न तो हंसराज देवीलाल को जानता है कि वो यह जान सके कि मौके पर देवीलाल का नाम आ रहा है, वह देवीलाल कौन हो सकता है तथा देवीलाल कौनसा वाहन चलाता है, ये विस्तृत जानकारी ए0डब्ल्यु0 2 हंसराज को नहीं हो सकती। ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द का भी यह कथन है कि हंसराज ने उसे ट्रेक्टर के कोई नम्बर नहीं बताये। रमेशचन्द यह कहता है कि हंसराज उसे महिने—सवा महिने बाद मिला था लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि हंसराज ने ट्रेक्टर के नम्बर नहीं बताये थे, यानि कि महिने—सवा महिने बाद हंसराज मिला तब तक उसे न तो नम्बरों की जानकारी थी और न ही उसने रमेशचन्द को यह नम्बर बताये।

22— ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द का कथन है कि उसे पुलिस वालों ने बताया है कि ट्रेक्टर ने टक्कर मारी है इसलिए प्रदर्श—3 तहरीरी रिपोर्ट में ट्रेक्टर द्वारा टक्कर मारना कथन किया है। यह प्रक्रिया भी विस्मयकारी है कि मौके पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं होने के बावजूद पुलिस प्रदर्श—3 के प्रकम पर ही यह बता सकी कि ट्रेक्टर ने टक्कर मारी। तर्क की दृष्टि से यह मान लिया जाए कि ट्रेक्टर चालक मौके से ट्रेक्टर को लेकर भाग गया तो भी वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 की दुर्घटना में अन्तर्लिप्तता सिद्ध नहीं होती। एक ओर तो ए0डब्ल्यु0 1 रमेशचन्द कहता है कि प्रदर्श—3 रिपोर्ट के ए से बी भाग में जहां लिखा है कि

लडकी ने सारी बात बतायी, से आशय इस बात से है कि प्रीति ने उसे देवीलाल का नाम बताया था लेकिन तर्क की तुला पर यह कथन विश्वसनीय नहीं है क्योंकि प्रीति ने यदि देवीलाल का नाम बताया होता तो उसका उल्लेख प्रदर्श–3 रिपोर्ट में किया गया होता। ए0डब्ल्यु0 2 हंसराज के कथनानुसार वह घायल प्रीति को बारां अस्पताल में लेकर गया और बाद में प्रीति की कोटा अस्पताल में मृत्यु होने की बात पता चली जबकि प्रदर्श–4 पंचायतनामा जिस पर हंसराज ए0डब्ल्यु0 2 के हस्ताक्षर है, से यह प्रकट होता है कि हंसराज एम0बी0एस0 अस्पताल कोटा में पुलिस द्वारा पंचायतनामा बनाने के समय मोजूद था। इसलिए हंसराज का यह कथन कि वह घटना से महिना सवा महिना बाद रमेशचन्द से मिला तब उसे पता चला कि उसकी पुत्री की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो चुकी है, गलत हो जाता है क्योंकि प्रदर्श–4 बनाये जाने के समय मृतका के पिता रमेशचन्द्र की भी मोजूदगी बतायी गई है और यदि हंसराज का यह कथन स्वीकार किया जावे कि वो बारां अस्पताल के बाद मृतका के पिता को नहीं मिला तो पुलिस की तफ्तीश में की गई कार्यवाही के स्वच्छता और शुद्धता पर प्रश्नचिन्ह अंकित हो जाता है कि हंसराज मौजूद नहीं होने पर भी प्रदर्श–4 पर उसके हस्ताक्षर किस प्रकार से अंकित पाये गए हैं यद्यपि विधि का यह सिद्धान्त है कि मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण के समय फौजदारी प्रकरण की तरह से साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जहां पुलिस द्वारा तैयार किये गए आरोपपत्र के आधार पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 की संलिप्तता का तर्क रखा गया हो, वहां यह देखना इस न्यायाधिकरण के लिये आवश्यक है कि जिस अनुसंधान और आरोपपत्र के आधार पर न्यायाधिकरण कोई मत बना रहा है अथवा प्रार्थी न्यायाधिकरण से उक्त सामग्री के आधार पर मत बनाने की अपेक्षा रखता है, वह आधार (आरोपपत्र एवं तफ्तीश) कितनी सत्य एवं विश्वसनीय है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि या तो पुलिस द्वारा किया गया अनुसंधान पूर्णतया शुद्ध एवं स्वच्छ नहीं है या फिर गवाह हंसराज के न्यायाधिकरण के समक्ष लेखबद्ध हुए बयान विश्वसनीय नहीं है और इन सबसे इतर जब हंसराज ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर ही नहीं देखे तो घटना के डेढ महिने बाद वाहन के नम्बर बताते हुए पुलिस को बयान किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता।

23– विपक्षी सं0 1 देवीलाल के विरूद्ध प्रस्तुत आरोपपत्र पुष्टिकारक साक्ष्य हो सकती है लेकिन इसे ठोस सबूत (substantive evidence) नहीं कहा जा

सकता और हस्तगत प्रकरण में यह सिद्ध नहीं होता कि दुर्घटना वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 के चालक विपक्षी सं0 1 देवीलाल राठी द्वारा वाहन को गफलत, लापरवाही एवं तेजगति से चलाये जाने के कारण घटित हुई हो। अतः विवाद्यक सं0 1 विरूद्ध प्रार्थीगण निर्णित किया जाता है।

24— चूंकि यह दुर्घटना क्लेम याचिका में वर्णित वाहन ट्रेक्टर नं0 आर0जे0 28 आर. 1453 की टक्कर से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए **शेष विवाद्यक सं0 2 लगायत 4** के संबंध में विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अनुतोष :—

25— प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत यह क्लेम आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

26— प्रार्थीगण रमेशचन्द्र, रूकमणी, शिवानी, अंकिता, पूनम एवं भूपेन्द्र वैष्णव की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम विरूद्ध विपक्षीगण सं0 1 लगायत 3 क्रमशः देवीलाल राठी, रामचन्द्र प्रजापति व बीमा कम्पनी यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं0लि0 अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(रीटा तेजपाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बारां (राज0)

27— निर्णय आज दिनांक **01.08.2024** को खुले अधिकरण में सुनाया गया।

(रीटा तेजपाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बारां (राज0)